

प्रेषक,

अरविन्द सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11

लखनऊ दिनांक 15 दिसम्बर, 2015

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्रदेश में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट के सुधार के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में बक्शी का तालाब से मडियांव (रा०मा० सं०-24) के चैनेज 482.00 से 488.75 तक एवं इंजीनियरिंग कालेज से टेंडी पुलिया (रा०मा० सं०-24ए) के चैनेज 0.00 से 0.400 और चैनेज 1.400 से 2.400 तक मार्ग पर साइकिल ट्रैक का निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु०-1), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०, लखनऊ के पत्रांक-214/रोड सेफ्टी/2015, दिनांक 06-07-2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल प्रदेश में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट के सुधार के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में बक्शी का तालाब से मडियांव (रा०मा० सं०-24) के चैनेज 482.00 से 488.75 तक एवं इंजीनियरिंग कालेज से टेंडी पुलिया (रा०मा० सं०-24ए) के चैनेज 0.00 से 0.400 और चैनेज 1.400 से 2.400 तक मार्ग पर साइकिल ट्रैक का निर्माण कार्य की आंकलित लागत ₹ 1435.84 लाख (रूपये चौदह करोड़ पैंतीस लाख चौरासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये लागत के सापेक्ष ₹ 431.00 लाख (रूपया चार करोड़ इकत्तीस लाख मात्र) की धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्न विवरणानुसार तथा निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों सहित अवमुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि ₹ 0 लाख में)

क्र० सं०	जनपद	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	वित्तीय वर्ष 2015-16 में आवंटन
1	2	3	4	5
1	लखनऊ	जनपद लखनऊ में बक्शी का तालाब से मडियांव (रा०मा० सं०-24) के चैनेज 482.00 से 488.75 तक एवं इंजीनियरिंग कालेज से टेंडी पुलिया (रा०मा० सं०-24ए) के चैनेज 0.00 से 0.400 और चैनेज 1.400 से 2.400 तक मार्ग पर साइकिल ट्रैक का निर्माण कार्य।	1435.84	431.00

(ए० के० सिंह)
मुख्य अभियन्ता (मु०-1)
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ

(12) कार्य की लागत में अधिष्ठान व्यय की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही नियमानुसार जमा की जायेगी।

(3) नेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।
(4) नूतन हास निधि चार्ज की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक में नियमानुसार जमा की जायेगी।

(5) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान-58 लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत व्यय-आयोजनागत-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-08-प्रदेश में दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों में निहित बसों के सुधार करने के लिए मार्ग सुरक्षा कार्य तथा रोड ज्यामिति में सुधार, स्कूल, अस्पताल आदि स्थलों के पास पाथ-वे/सड़किल ट्रैक का निर्माण कार्य-24-वृहत निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वहन किया जायेगा तथा उक्त कार्य के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं०-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22-07-2014 के प्रस्तर-2(2) तथा कार्यालय ज्ञाप सं०-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30-03-2015 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 के कार्यालय ज्ञाप सं०-बी-3-1840/दस-2014-100(4)/2002-ब०मै०, दिनांक 01-10-2014 में निहित प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू०ओ०-ई-8-2974/दस-2015, दिनांक 26 नवम्बर, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
भवदीय,

(अरविन्द सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-287(1)/23-11-2015-1/2(89)/15-तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम (निर्माण) 30प्र० इलाहाबाद।
- 2- मण्डलायुक्त, लखनऊ /जिलाधिकारी, लखनऊ।
- 3- मुख्य अभियन्ता (मु०-1) लोक निर्माण विभाग लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (मध्य क्षेत्र) लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 5- वित्त व्यय (नियंत्रण) अनु०-8/वित्त आय-व्ययक अनु०-1, 30प्र० शासन।
- 6- राज्य योजना आयोग-1/2, 30प्र० शासन।
- 7- अधीक्षण अभियन्ता नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- 8- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, 30प्र० शासन।
- 9- वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, 30प्र० शासन।
- 10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, 30प्र०, लखनऊ।
- 11- निजी सचिव, मा० मंत्री, लोक निर्माण विभाग, 30प्र०।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(राजेश प्रताप सिंह)
उप सचिव।